

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद

पत्रांक 475 / 14-1, दिनांक: फर्रुखाबाद, अगस्त 24/2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल,
कानपुर

विषय-

जनपद फर्रुखाबाद-फतेहगढ़-गुरसहायगंज रोड (एस0एच0-29ए) किमी0 नं0 9 (चैनेज 8.053) बांयी पटरी पर खसरा सं0-634 नि0 ग्राम-भूलनपुर चिरपुरा, परगना-भोजपुर, तहसील-सदर, जिला-फर्रुखाबाद पर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-332/11-सी-FP/UP/OTHERS/32858/2018 दिनांक 19.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रस्ताव में लगायी गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव की चार प्रतियों आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

क्र0सं0	आपत्ति	आख्या
1	2	3
1	ऑनलाइन भाग-2 में पुनः 922 पेड अपलोड किये है, किन्तु संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 05 वृक्ष बाधक बताये गये हैं किन्तु ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड किये गये वृक्षों की संख्या से स्पष्ट लग रहा है कि वृक्षों की गोलाई दिखाई पड़ रही है, अतः अन्तर को स्पष्ट करते हुये वास्तविक वृक्षों की संख्या एवं बाधक वृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	प्रस्तावित स्थल पर 05 वृक्ष बाधक है जिनको ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फर्रुखाबाद

पत्रांक 475/अ, समदिनांकित:-

प्रतिलिपि-उप महाप्रबन्धक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फर्रुखाबाद